UPMZ010080872026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुजफफरनगर

उपस्थित : बीरेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 3279 सन 2026

आशीष पुत्र रविन्द्र
निवासी ग्राम सोहजनी जाटान, थाना तितावी
जनपद मुजफफरनगर

—आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

—विपक्षी

अपराध संख्या—164 सन 2024
धारा— 406, 504, 507
भारतीय दंड संहिता
थाना—तितावी
जनपद—मुजफ्फरनगर

10.07.2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त की ओर से मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है बल्कि उसे इस मामले में रंजिश के कारण झूठा फँसाया गया है।

यह भी कहा गया है कि उसके विरूद्व अपराध संख्या 164 सन 2024 दर्ज किया जाकर बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। यह भी कहा गया है कि वादिया मुकदमा यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर है तथा आवेदक/अभियुक्त के गांव सोहजनी जाटान में उसकी ननिहाल आवेदक/अभियुक्त के पडौस में ही है। वादिया ने उसे कहा था कि वह चाहे तो उसकी सरकारी नौकरी लगवा सकती है। यह कहकर उसने कई बार आवेदक/अभियुक्त व उसके पिता रविन्द्र से काफी बार रूपये लिये। चूंकि वादिया मुकदमा आवेदक/अभियुक्त की रिश्ते में बहन व पिता की भांजी लगती है। काफी समय हो जाने पर आवेदक/अभियुक्त ने रूपये वापिस मांगे तो कुछ रूपये उसने भिन्न भिन्न तारीखों में वापिस भी किये। बाकी रूपयों का तकादा करने पर वह पुलिस में होने का रौब देने लगी। उसके दबाव में आकर यह रिपोर्ट करायी गयी है।

इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि मामला आपसी लेन देन का है तथा सिविल प्रकृति का है। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त को विवेचक द्वारा धारा 41—क दंड प्रक्रिया का का नोटिस दिया गया था। उसके द्वारा विवेचना में

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.10 19:20:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सहयोग किया गया है। मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इस प्रकार अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी। समर्थन में शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

2. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक द्वारा अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध किया गया तथा कहा गया कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व गंभीर प्रकृति का आरोप है। इस प्रकार अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए अग्रिम जमानत निरस्त करने की मांग की गयी।

3. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा तलबीदा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

4. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निम्न तथ्य विचारणीय हैं :–

1. अभियोग की प्रकृति एवं गंभीरता,

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट की परिस्थिति,

3. अभियुक्त का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि, क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्व पर पहले ही कारावास भुगत चुका है।

4. न्याय से भागने की संभाव्यता, और

5. जहां अभियुक्त को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो।

6. सामाजिक स्थिति/जांच में सहयोग की प्रवृत्ति।

5. अभियोजन कथानक अनुसार वादिया मुकदमा सपना द्वारा घटना दिनांक 12.08.2022 से लेकर 18.01.2023 समय 00.00 बजे के संबंध में दिनांक 13.07.2024 को समय 20.41 बजे थाना तितावी पर प्राथमिकी इस आशय की दर्ज करायी गयी कि उसकी दोस्ती वर्ष 2018 में आशीष के साथ हो गयी थी। दोस्ती के चलते वर्ष 2018 से ही आशीष उसे विश्वास में लेकर धोखाधडी की नीयत से उससे ऑन लाईन ट्रांजेक्शन व कुछ नगद रूपयों में पांच लाख रूपये ले चुका है। उसके द्वारा अपने रूपये मांगने पर उसे नये नम्बरों से फोन पर गाली गलौज करता है और जान से मारने की धमकी देता है। आशीष ने अपने दोस्त के मोबाईल नम्बर से कॉल करके उसे गंद गंदी गालियां दी। उसके दोस्त ने भी उसे गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। जब भी आशीष का मन करता वह नये नम्बर से उसे गाली गलौज करता है।

6. इस प्रकार अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व वादिया मुकदमा से पांच लाख रूपये हडपने और उसे गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप बताया गया है।

आरोपित धाराएं सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है। तलबीदा पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि दौरान विवेचना विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्त को दिनांक 27.09.2024 को धारा 41–क दंड प्रक्रिया संहिता

का नोटिस दिया गया था। आवेदक/अभियुक्त द्वारा विवेचना में असहयोग किये जाने का कोई कथन नहीं है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। मामले में विवेचनोपरांत आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्ति–युक्त आधार मौजूद है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **आशीष पुत्र रविन्द्र** को अंतर्गत अपराध संख्या–164 सन 2024 धारा– 406, 504, 507 भारतीय दंड संहिता थाना खालापार, जनपद मुजफ्फरनगर के मामले में उसके द्वारा अंकन 50,000/– 50,000/– पचास पचास हजार रूपये की दो विश्वसनीय प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तो के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है :–

1. यह कि आवेदक/अभियुक्त विवेचक/न्यायालय द्वारा तलब किये जाने व नियत की गयी तिथियों पर उपस्थित होंगे तथा विचारण में सहयेाग करेगा।

2. यह कि आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्ररेणा, धमकी या वचन नहीं देंगे, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

3. यह कि आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेगा।

4. यह कि आवेदक/अभियुक्त बंध पत्र की शर्तो का कठोर पालन करेंगे।

(क) ऐसे व्यक्ति इस आशय के अधीन निष्पादित बंध पत्र की शर्तो के अनुसार हाजिर होगा।

(ख) ऐसे व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

(ग) ऐसे व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण नहीं करेंगे, धमकी या वचन नहीं देंगे या साक्ष्य को नहीं बिगाडेगा।

5. आवेदक/अभियुक्त बंध पत्र दाखिल करेगा–''अभियुक्त विचारण के पूर्ण होंनें के छह माह के अन्दर यदि उच्चतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी अपील या याचिका में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होता है, तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।''

6. आवेदक/अभियुक्त विवेचना/विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

7. आवेदक/अभियुक्त इस आशय का एक बंध पत्र दाखिल करेगा कि, वह विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी हाजिर होगा, स्थगन नहीं लेगा। इस शर्त की अवहेलना होने पर संबंधित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि, संबंधित न्यायालय अभियुक्त द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्व विधिसम्मत आदेश पारित करे।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)

दिनांकः **10**.07.2026

सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर